

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 1593/11-सी-FP/UP/Others/26736/2017, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 27, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एन०एच०-80) किमी० 05 दांयी पटरी खसरा सं०-30 ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/26736/2017

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-3443/81-2-2023-800(144)/2019, दिनांक-08.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-2050/14-1, दिनांक 21.12.2023 द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1593/11-सी-FP/UP/Others/26736/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड़ एन०एच० 24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला-मुरादाबाद।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

# कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)  
पत्रांक 2050 / 14-1 अलीगढ़, दिनांक, दिसम्बर: 2 | ,2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्पोरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन0एच0-80) किमी0 05 दायीं पटरी खसरा सं0-30 ग्राम-दौलतादाबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।

( प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/26736/2017)

सन्दर्भ:-

अनु सचिव उ0प्र0 उ0प्र0 शासन की शासकीय पत्र संख्या-3443/81-2-2023-800(144)/2019 दिनांक 08.11.2023 व आपका पत्रांक-1235/11-सी-FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 09.11.2023 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक-2062/14-10 दिनांक 30.11.2023

नहोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 उ0प्र0 शासन के संदर्भित शासकीय पत्र पत्र से लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक-2298/14-10 दिनांक 19.12.2023 से आख्या/सूचना संलग्न कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत संस्तुति सहित प्रेषित है-

क्र0स0	आपत्ति	उत्तर
1	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्या दिनांक 02.08.2023 से विदित हो रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी ने बिना सक्षम स्तर से अनुमति के आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। क्या इस पर परिणामक कार्यवाही की पुष्टि हुई?	<p>प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के फलस्वरूप निम्न प्रकार परिणामक कार्यवाही की गयी।</p> <p>(1) उल्लंघन हेतु दोषी एजेंसी/व्यक्ति के विरुद्ध रेंज केस सं0 23/अलीगढ़/17-18 दिनांक 07.09.2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-32/33 के तहत वन अपराध दर्ज किया गया। (संलग्नक-1)</p> <p>(2) विषयक निर्गत एच0-2 केस को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थ दण्ड के साथ दण्डित करते हुए, केस को निस्तारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं। (संलग्नक-2)</p> <p>(3) प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक प-35/11-2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में निर्गत निर्देशानुसार 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या। (संलग्नक-3)</p> <p>(4) भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु सं0 बी(3) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल किये जाने वाली मानक एन.पी.वी. के अतिरिक्त दण्डात्मक पाँच गुना एन.पी.वी. की धनराशि रू0 90201/- प्रस्तावित की गयी है। गणना शीट संलग्न है। (संलग्नक-4)</p> <p>(5) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन करने की दशा में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1163/14-1 दिनांक 01.10.2019 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। (संलग्नक-5)</p>

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।
2. प्रतिलिपि-प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम0डी0), मुरादाबाद मंडल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0एच0-24, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।